न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 01/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. देवाराम पुत्र हिराराम जाति मीणा निवासी नोवी तहसील सुमेरपुर		सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री रामलाल भाटी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24.8.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 1545/2016 में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2017 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 85/2017 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का नोवी की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम नोवी के खसरा नम्बर 874 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी पत्नी भवरीदेवी ने राज्य सरकार के खिलाफ सिविल न्यायालय सुमेरपुर के समक्ष एक दीवानी वाद पेश किया है, जिसमें खसरा नम्बर 874/1 में हो रहे जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास भवन के निर्माण को रूकवाने का निवेदन किया। इस कारण यह कार्यवाही द्वेषतावश की गई है। अपीलाण्ट की पत्नी भंवरीदेवी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 948/874 रकबा 1.32 हैक्टेयर की आई हुई स्थित है। इससे लगते ही खसरा नम्बर 874/1 रकबा 0.32 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 888/1 रकबा 0.68 हैक्टेयर स्थित है। इन भूमियों के बीच किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास की भूमि पर जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, वह स्वीकृत नक्शे अनुसार नहीं किया जाकर अपीलाण्ट की पत्नी भंवरीदेवी की खातेदारी भूमि के कुछ हिस्से पर किया जा रहा है, जो विधि विरूद्ध है। इसे रूकवाने हेतु भंवरीदेवी द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर अदावती के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

को बिना सुनवाई का अवसर दिये जुर्माना आरोपित किया एवं आदेश बेदखली पारित किये। अपीलाण्ट का रास्ते की भूमि पर कब्जा ही नही है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई जांच किये जैर अपील आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। मात्र कयासों के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा बिना सीमांकन किये विधि विरूद्ध रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलाण्ट की पत्नी की खातेदारी भूमि एवं सरकारी भूमि पर कब्जे बाबत न तो कोई जांच की तथा न ही अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम नोवी के खसरा नम्बर 874 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम नोवी के खसरा नम्बर 874 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 26.12.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट देवाराम से तामील करवाया गया। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि उनका सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। इस हेतु स्वयं अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय चाहा गया तथा न ही कोई सीमांकन आदि की कार्यवाही की, जिससे यह स्पष्ट हो सकता कि वास्तविक रूप से अपीलाण्ट जैर अपील वादस्थ भूमि पर काबिज थे या नहीं, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नही की, जो प्रकरण में उनकी स्वीकारोक्ति को प्रदर्शित करता है। हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि कि किस्म गै0मु0 रास्ता है, जो कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 1545/2016 में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2017 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 85/2017 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली